इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011—फाल्गुन 20, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2011

क्र. 7134-वि.स.-विधान/2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ८ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०११.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०११ है.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिए राज्य की संचित निधि में से ४१,२८,६७,९९,९०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग चार हजार एक सौ अट्ठाईस करोड़ सड़सठ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग. **३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.**

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
.	भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	**२,७४,५०,९५,०००**	२,७४,५०,९५,०००
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	२,२९,०१,०००	**२,२५,००,०००**	४,५४,०१,०००
		पूंजी	८,८२,८५,०००	०	८,८२,८५,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	९,००,०००	०	९,००,०००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	५२,३९,०००	०	५२,३९,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	३,३५,००,०००	०	३,३५,००,०००
०६.	वित्त				
		राजस्व	५,८६,५१,२१,०००	०	५,८६,५१,२१,०००
०७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	०	**३२,५८,७०,०००**	३२,५८,७०,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	१,८२,७८,६००	०	१,८२,७८,६००
१०.	वन				
		राजस्व	२५,६८,८५,०००	०	२५,६८,८५,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		राजस्व	३,०९,०४,०००	०	३,०९,०४,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
१२.	ऊर्जा				
		पूंजी	१३,८१,३६,६३,०००	०	१३,८१,३६,६३,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
१७.	सहकारिता				
		राजस्व	३,७४,९५,७००	००	३,७४,९५,७००
१८.	श्रम				
		राजस्व	११,११,४७,०००	०	११,११,४७,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		पूंजी	३,०००	०	३,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	४,२४,६५,०००	०	४,२४,६५,०००
		पूंजी	१००	०	१००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय				
		राजस्व	५०,१०,००,०००	०	५०,१०,००,०००
२३.	जल संसाधन				
		राजस्व	४,२०,००,०००	०	४,२०,००,०००
		पूंजी	१,३५,५०,००,०००	०	१,३५,५०,००,०००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		पूंजी	५,०००	**३,००,००,०००**	३,००,०५,०००
२६.	संस्कृति				
		राजस्व	१७,००,०००	०	१७,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
		राजस्व	८५,२१,११,०००	०	८५,२१,११,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	१०,००,०००	**६५,००,०००**	७५,००,०००
३२.	जनसंपर्क				
		राजस्व	१२,२५,६६,०००	०	१२,२५,६६,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण				
		राजस्व	९८,८३,३३,०००	०	९८,८३,३३,०००
३४.	समाज कल्याण				
		राजस्व	९३,००,०००	०	९३,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
३५.	पुनर्वास				
		राजस्व	५,८३,०००	०	५,८३,०००
३७.	पर्यटन				
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	४,३३,००,०००	०	४,३३,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
		राजस्व	३२,६९,११,२००	०	३२,६९,११,२००
		पूंजी	२००	०	२००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
		पूंजी	२००	०	२००
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	२३,५७,०२,०००	०	२३,५७,०२,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण.				
		राजस्व	२६,९३,३६,४००	०	२६,९३,३६,४००
		पूंजी	४५,००,००,१००	०	४५,००,००,१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	१,९८,९०,००,०००	०	१,९८,९०,००,०००
५०.	बीस सूत्र कार्यान्वयन				
		राजस्व	१,१७,८३,०००	०	१,१७,८३,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	८३,१६,५५,०००	०	८३,१६,५५,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	६,९५,८४,७५,०००	०	६,९५,८४,७५,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
		पूंजी	६४,६४,३५,०००	०	६४,६४,३५,०००
६२.	पंचायत				
		राजस्व	१०,२४,५१,०००	०	१०,२४,५१,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण				
		राजस्व	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना				
		राजस्व	४६,७८,९०,०००	०	४६,७८,९०,०००
		पूंजी	३०,००,००,४००	०	३०,००,००,४००
६५.	विमानन				
		राजस्व	३,९४,३८,०००	०	३,९४,३८,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	५१,५८,००,०००	०	५१,५८,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास				
		पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	९९,००,०००	०	९९,००,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	३१,७५,०००	०	३१,७५,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	६,६५,०१,०००	०	६,६५,०१,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
७६.	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
		पूंजी	१२,९६,००,०००	०	१२,९६,००,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
		राजस्व	५,९०,९६,०००	०	५,९०,९६,०००
	योग :	राजस्व	१९,१७,४८,४२,९००	३,०९,९९,६५,०००	२२,२७,४८,०७,९००
		पूंजी	१८,९८,१९,९२,०००	३,००,००,०००	१९,०१,१९,९२,०००
	वृहद् योग . .		३८,१५,६८,३४,९००	३,१२,९९,६५,०००	४१,२८,६७,९९,९००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ९ मार्च, २०११.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.